GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 138
ANSWERED ON 05/08/2024

URBAN PLANNING STRATEGY

***138. Dr. ASHOK KUMAR MITTAL:**

Will the Minister of Housing and Urban Affairs be pleased to state: -

(a) Whether government has a comprehensive urban planning strategy to accommodate the projected population growth as per The World Population Prospects 2024 Report;
(b) If so, the details thereof;
(c) the details of plans of Government to provide affordable housing to the increasing population under schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U);
(d) whether there have been any delays in allocation of fund to State Governments for PMAY–U; and
(e) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(SHRI MANOHAR LAL)

(a) to (e): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (e) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *138 DUE FOR ANSWER IN THE RAJYA SABHA ON 05 AUGUST 2024 REGARDING "URBAN PLANNING STRATEGY":

(a) & (b)**:**'The World Population Prospects' 2024 report highlights that the world's population is likely to peak within the current century and is expected to reach a peak of around 10.3 billion people in the mid-2080s, up from 8.2 billion in 2024. As per the report, India has been ranked the most populous country in the world with a population of 145 Cr. In 2024, 169 Cr. In 2054 and 150 Cr. In 2100

As per the 12th Schedule of Indian Constitution, Urban Planning including Town Planning is the responsibility of Urban Local Bodies (ULBs)/ Urban Development Authorities. Government of India supplements the efforts of the States through schematic interventions/ advisories. It provides financial and technical support to the States.

The Ministry supports the states in strengthening urban planning eco-system.In order to incentivize States to undertake urban planning reforms, Schemes for Special Assistance to States for Capital Investment of Department of Expenditure, Ministry of Finance was initiated. The scheme aims to promote efficiency in land-use, sustainable development, affordability, and revenue generation using urban planning as a tool.

i. **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2022-23 – Part – VI (Urban Planning Reforms)** with an allocation of Rs. 6,000 Cr - The reform components included Modernization of Building Bylaws by removing contradictions and optimizing land use, Adoption of modern urban planning tools like Transferrable Development Rights (TDR), Implementation of Local Area Plans (LAP) and Town Planning Schemes (TPS), Implementation of Transit-oriented Development (ToD). Further States were incentivized for Creation of Sponge Cities, Removing Taxation for running the Buses for Public Transport.

ii. **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 – Part – III (Urban Planning Reforms)** with an allocation of Rs. 15,000 Cr - The reform

components included Augmentation of human resources by hiring of qualified urban planners, Implementation of Town Planning Scheme (TPS)/ Land Pooling Scheme, Modernization of Building Bylaws, promoting Affordable Housing and in-situ slum rehabilitation, Transit-Oriented Development (TOD), Transferable Development Rights as planning tool, Strengthening natural ecosystems of urban areas through urban planning, development of waterfronts etc.

Further, reform component included providing of incentives to the States for creating enabling byelaw/ policies for private sector participation in Affordable Housing projects.

A sub-Scheme under AMRUT on Formulation of GIS based Master plans for 500 AMRUT cities is at implementation stage. The Sub-Scheme aims at geo database creation and formulation of GIS based Master Plans. At present 461 AMRUT Cities in 35 States are on boarded under the scheme. Draft GIS based Master Plan has been formulated for 355 towns, out of which Master Plans for 208 towns have been finalized.

Further, a Pilot Sub-Schemefor capacity building of municipal officials under AMRUT for preparation of Town Planning Scheme (TPS) and Local Area Plans was launched in 2018. The Scheme aims to build capacity in order to bring about planned urban development through adjustment of land parcels and retrofitting of the old city centers.

Under **AMRUT 2.0,** Scheme for **Formulation of GIS based Master Plans has been extended to cover Class-II Towns** with population of 50,000 - 99,999. MoU has been signed with National Remote Sensing Centre and **Survey of India for creation of geo database.**

Considering the fast pace of urbanization & population growth, the Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), Government of India has issued following guidelines/byelaws/ advisory:

i. Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, 2014
ii. Model Building Bye-laws (MBBL), 2016

iii. Advisory on "Transit-oriented Development (ToD) 2023" for all States to develop pedestrian friendly cities for residents and to promote development along important transit corridors/ nodes

The Ministry has undertaken several knowledge exchange and capacity-building programs:

i. For developing India specific knowledge in urban planning/design and providing specific trainings to the Municipal Officials/Planners, four existing academic institutions in different regions have been designated as Centres of Excellence (CoEs) (in 2023-24) and are entitled to an endowment fund of ₹250 crore each. In addition, six academic institutions have been designated as AMRUT-funded Centres of Capacity Building to support the States.
ii. The Ministry has undertaken capacity building programs for formulation of Local Area Plans (LAP) and Town Planning Schemes (TPS), for Town Planners working in State Town and Country Planning Departments, Urban Local Bodies, and Urban Development Authorities. Six such programs were conducted by CEPT University, Ahmedabad in collaboration with Town and Country Planning Organisation between August to November, 2019, under which 210 Town Planners were trained from 25 LAP/ TPS cities.
iii. Under AMRUT/ AMRUT 2.0, around 3250 officials have been trained for using geo-spatial technology tools for preparation of master plans.

(c) to (e)**:** 'Land' and 'Colonisation' are State subjects. Therefore, schemes related to affordable housing are implemented by States/Union Territories (UTs). However, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) supplements the efforts of States/UTs by providing Central Assistance under Pradhan MantriAwasYojana – Urban (PMAY-U) since June 25, 2015 to provide pucca house in urban areas across the country through four verticals i.e., Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) and Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS).

Based on project proposals submitted by the State/UT Governments under PMAY-U, a total of 118.64 lakh houses have been sanctioned by the Ministry, out of which 114.40 lakh have been grounded and 85.43 lakh are completed/delivered to the beneficiaries in urban areas as on 29.07.2024. The implementation period of PMAY-U scheme which was earlier up to 31.03.2022, has since been extended up to 31.12.2024, except for CLSS vertical, to complete all the houses sanctioned under the scheme without changing the funding pattern and implementation methodology.

The Union Cabinet on 10.06.2024 has resolved to provide assistance to 3 crore additional rural and urban households for the construction of houses, to meet the housing requirements arising out of the increase in the number of eligible families. As per the budget announcement, PMAY-Urban 2.0 aims to address the housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families with an investment of ₹10 lakh crore and Central Assistance of ₹2.20 lakh crore in the next 5 years.

Under PMAY-U, the Central Assistance is released in three instalments in 40%, 40% and 20% to the States/UTs for construction of houses, based on the compliances submitted by States/UTs as per scheme guidelines. Out of sanction Central Assistance of ₹2 lakh crore, ₹1.64 lakh crore have been released as on 29.07.2024.

*****

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 138

05 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी आयोजना कार्यनीति

138 डा. अशोक कुमार मित्तलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने के लिए शहरी आयोजना संबंधी कोई व्यापक कार्यनीति है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) जैसी योजनाओं के अंतर्गत, बढ़ती जनसख्या को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या पीएमएवाई-यू के लिए राज्य सरकारों को निधि आवंटन करने में कोई विलंब हुआ है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख): 'विश्व जनसंख्या संभावना' 2024 रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दुनिया की आबादी के वर्तमान सदी में चरम पर पहुंचने की संभावना है और जो आबादी 2024 में 8.2 बिलियन है उसके 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन होकर चरम पर पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2024 में 145 करोड़, 2054 में 169 करोड़ और 2100 में 150 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश माना गया है।

भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन सहित शहरी आयोजना शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेप/सलाह के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में राज्यों की सहायता करता है। शहरी नियोजन सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी नियोजन को एक साधन के रूप में उपयोग करके भूमि-उपयोग, स्थायी विकास, वहनीयता और राजस्व सृजन में दक्षता को बढ़ावा देना है।

i. **पूंजी निवेश योजना 2022-23 – भाग-VI (शहरी नियोजन सुधार) के लिए राज्यों को विशेष सहायता** - 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ । सुधार घटकों में विरोधाभासों को दूर करना और भूमि उपयोग के इष्टतम प्रयोग द्वारा भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) जैसे आधुनिक शहरी नियोजन साधनों को अपनाना, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) का कार्यान्वयन, ट्रांजिट ओरियंटिड विकास (टीओडी) का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा राज्यों को स्पॉन्ज शहरों के निर्माण, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चलाने के लिए कर हटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ii. **पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना 2023-24 – भाग – III (शहरी नियोजन सुधार)** - 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ। सुधार घटकों में योग्य शहरी योजनाकारों को काम पर रखकर मानव संसाधनों का संवर्धन, नगर निगम योजना (टीपीएस) / लैंड पूलिंग स्कीम का कार्यान्वयन, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, किफायती आवास और स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास को बढ़ावा देना, ट्रांजिट ओरयंटिड विकास (टीओडी), नियोजन उपकरण के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, वाटरफ्रंट का विकास आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सुधार घटक में किफायती आवास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र द्वारा भागीदारी किए जाने हेतु अनुकूल उपनियम/नीतियां बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल था।

अमृत के अंतर्गत 500 अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की उप-योजना कार्यान्वयन चरण में है। उप-योजना का उद्देश्य जियो डेटाबेस बनाना और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना है। वर्तमान में 35 राज्यों के 461 अमृत शहर इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। 355 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें से 208 शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

इसके अलावा, नगर नियोजन योजना (टीपीएस) और स्थानीय क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के लिए अमृत के तहत नगर निगम अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक प्रायोगिक उप-योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भूमि पार्सल के समायोजन और पुराने शहर के केंद्रों के पुनर्निर्माण के माध्यम से योजनाबद्ध शहरी विकास लाने के लिए क्षमता निर्माण करना है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की योजना को 50,000 से 99,999 की आबादी वाले वर्ग-II शहरों तक विस्तारित किया गया है। भू-डेटाबेस के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की तेज गति को ध्यान में रखते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित दिशानिर्देश/उपनियम/परामर्शिका जारी की हैं:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014
ii. मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल), 2016
iii. सभी राज्यों के लिए "ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) 2023" पर परामर्शिका, ताकि निवासियों के लिए पैदल यात्री अनुकूल शहर विकसित किए जा सकें और महत्वपूर्ण ट्रांजिट कॉरिडोर/नोड्स के साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

मंत्रालय ने कई ज्ञान साझा करने हेतु कार्यक्रम और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

i. शहरी नियोजन/डिजाइन में भारत-विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और नगर निगम अधिकारियों/योजनाकारों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में चार मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) (2023-24 में) के रूप में नामित किया गया है और प्रत्येक 250 करोड़ रुपये की एंडोवमेंट निधि के पात्र हैं। इसके अलावा, राज्यों की सहायता के लिए छह शैक्षणिक संस्थानों को अमृत-वित्तपोषित क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

ii. मंत्रालय ने राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों में कार्यरत नगर नियोजकों के लिए स्थानीय क्षेत्र योजनाएं (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाएं (टीपीएस) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगस्त से नवंबर, 2019 के बीच नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के सहयोग से सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद द्वारा ऐसे छह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत 25 एलएपी/टीपीएस शहरों के 210 नगर नियोजकों को प्रशिक्षित किया गया।

iii. अमृत/अमृत 2.0 के तहत, लगभग 3250 अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) से (ड़): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, किफायती आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, ताकि देश भर के शहरी क्षेत्रों में चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी),स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके।

पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षत्रों सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 114.40 लाख घरों की नींव रखी जा चुकी है और 29.07.2024 तक शहरी क्षेत्रों में 85.43 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे अब सीएलएसएस घटक को छोड़कर 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना योजना के तहत स्वीकृत सभी घरों को पूरा किया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून 2024 को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों हेतु आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। बजट घोषणा के अनुसार, पीएमएवाई यू-शहरी 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के निवेश और 2.20 लाख करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता के साथ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।

पीएमएवाई-यू के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवासों के निर्माण के लिए तीन किस्तों में 40%, 40% और 20% की केंद्रीय सहायता जारी की जाती है, जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन पर आधारित होती है। 2 लाख करोड़

रूपये की स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से, 29.07.2024 तक 1.64 लाख करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं।

****

डा. अशोक कुमार मित्तलः सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, 2024 के बजट में माननीया वित्त मंत्री जी ने एक करोड़ आवास अर्बन एरियाज़ में बनाने की घोषणा की, जिसका हम स्वागत करते हैं। सरकार का कहना है 1 करोड़ 19 लाख घर सैंक्शन्ड हुए हैं, लेकिन 'प्रधान मंत्री आवास योजना' का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है In-Situ Slum Redevelopment (ISSR). उसमें सिर्फ तीन लाख, यानी तकरीबन तीन परसेंट स्लमवासियों के लिए ही घर बनाया जाना योजना का हिस्सा है। सर, यह आँकड़ा दर्शाता है कि योजना के तहत स्लमवासियों को शहर की औपचारिक बस्तियों में लाने के लक्ष्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्लम के बढ़ने से सरकारी जमीन पर एन्क्रोचमेंट भी होता है तथा unauthorised constructions भी होते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि चूँकि स्लम की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में यह योजना असफल हुई है, तो क्या सरकार इसको रिव्यू करके कोई रिवाइज़्ड पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस टर्म में प्रधान मंत्री महोदय ने पहली केबिनेट बैठक में अगर कोई सबसे पहला एजेंडा लिया, तो वह 3 करोड़ नए घर बनाने का एजेंडा लिया। इसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र में बनाने का एजेंडा है। पहले से भी यह योजना चल रही है और उस योजना के अंतर्गत चार वर्टिकल्स हैं। उनमें से एक वर्टिकल की चर्चा माननीय सदस्य ने की है और वह In-Situ Slum Redevelopment है। इससे पहले जब इनकी सरकार थी, तो इन्होंने भी 'राजीव आवास योजना' में...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं, इनकी तो कभी सरकार नहीं थी।...(**व्यवधान**)...

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, काँग्रेस की, विपक्ष की सरकार थी और ये कहीं-कहीं उनके साथ गलबिहयाँ डालते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः सुमन जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, प्लीज़।...(**व्यवधान**)...

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, ये कहीं-कहीं उनके साथ गलबिहयाँ डालते हैं, कहीं-कहीं आमने-सामने खड़े होकर गालियाँ भी देते हैं। इसलिए जो विपक्ष बैठा है, मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि जो कुछ किया गया, वह उनकी देखरेख में किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि उनका इससे बिल्कुल संबंध नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि 2004 से 2014 की जो सरकार थी, उसमें यह योजना 'राजीव आवास योजना' के नाम से चली थी। उसके तहत पूरे 10 वर्ष में लगभग 38 हजार करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई थी, जब कि अभी 10 साल में जो मकान बनाए गए हैं, 80 लाख से अधिक मकान बना कर वितरीत किए जा चुके हैं, उस पूरी योजना में

केवल In-Situ Slum Redevelopment के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के मकान बना कर दिए जा चुके हैं तथा अन्य तीन वर्टिकल्स उसके अतिरिक्त हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम झुग्गी-झोंपड़ी वालों की चिंता नहीं करते है, बल्कि हमें उनकी बहुत चिंता है, क्योंकि हम अंत्योदय की भावना से काम करते हैं, यानी जो सबसे गरीब है, उसको पहले लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जितनी योजना प्रदेश सरकार बना कर भेजती है, हम इसको प्रदेशों के ऊपर छोड़ते हैं कि उसकी जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर प्रदेश से जो डिमांड आता है, हम उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूवल देने में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि ऐसे झुग्गी-झोंपड़ी के जो लोग हैं, वे ज्यादातर सरकारी जमीन पर कब्जा किए होते हैं और उनकी अपनी जमीन होती नहीं है। हमारी योजना में यह है कि अगर उसके पास अपनी जमीन है, तो उसको भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि अगर ऐसे लोगों के पास एक छोटा-सा प्लॉट है, तो अगर पहले चरण में उनको दे दिया जाता है, तो वे अपने प्लॉट पर थोड़े पैसे में भी अपना मकान बना सकते हैं।

इसी प्रकार, कुछ सरकारों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने जमीनों का प्रबंध अपने आप किया और हमारी इस ISSR योजना में उन्होंने हमसे लाभ उठाया है। प्रदेश सरकारें कैसी योजनाएं बनाती हैं, यह उन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो मध्यम वर्गीय है और उसके पास भी अगर अपना मकान नहीं है, तो हम उसके मकान की योजना न बनाएं। हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है - Housing for All, यानी सबको मकान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके सिर के ऊपर छत न हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं भी प्रदेश से -- क्योंकि नई योजना में यह एक करोड़ मकानों के ऑफर्स प्रदेशों को दिए जाएंगे और अगर वे इस नई योजना में झुग्गी-झोंपड़ी की योजना ज्यादा बड़ी बनाकर देते हैं तो हम उसकी एलोकेशन करने में उनको प्राथमिकता देंगे।

श्री सभापतिः सेकंड सप्लीमेंट्री, डा. अशोक कुमार मित्तल।

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, मंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं, वह बात तो ओवर हो गई, उसको छोड़िए। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, मंत्री जी ने इल्जाम लगाया। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, पर मंत्री जी ने स्पेसिफिकली बोला है। मुझे स्पष्टीकरण का तो हक देंगे न, सर!

श्री सभापतिः अशोक जी, जिन्दगी में छोटी बात से रुकना नहीं है। वह बात ओवर हो गई, आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछिए। पहले सप्लीमेंट्री का जवाब आ गया है। सेकंड सप्लीमेंट्री, डा. अशोक कुमार मित्तल।

डा. अशोक कुमार मित्तलः जब माननीय मंत्री जी बोल सकते हैं, तो मुझे भी बोलने का हक दीजिएगा न, सर!

श्री सभापतिः नहीं। मैं सेकंड सप्लीमेंट्री पूछने का हक तो दे रहा हूँ न, पूरा अधिकार है।

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, मैं पोलिटिक्स में 2022 में आया हूँ।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं। इसके लिए मनोहर लाल जी तो जिम्मेवार नहीं हैं! ...(**व्यवधान**)...डा. अशोक कुमार मित्तल। ...(**व्यवधान**)...

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, धन्यवाद। अर्बन प्लानिंग के लिए सरकार ने 2015 में Smart Cities Mission शुरू किया था और सरकार के मुताबिक इस मिशन के अंतर्गत 90 प्रतिशत काम हो चुका है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please*...(Interruptions)...*

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, how can he say this? *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. *...(Interruptions)...* Dr. Ashok Kumar Mittal, please ask your supplementary. *...(Interruptions)...*

DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Thank you for supporting me, Madam. सर, अर्बन प्लानिंग मिशन में सरकार ने 2015 में Smart Cities Mission शुरू किया था और सरकार के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन में 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, परंतु जब हम स्मार्ट सिटी की रियेलिटी को देखते हैं, तो देश में एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती है, जबकि...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः डा. मित्तल, आप अपना प्रश्न पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तलः सर, यह मेरा क्वेश्चन ही है। सरकार 47,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, जो कि टैक्सपेयर्स का मनी है। सरकार अपने द्वारा जो 90 प्रतिशत काम पूरा करने का दावा कर रही है, क्या वह उसको authenticate करने के लिए कोई third party audit कराएगी और उसकी रिपोर्ट यहां पेश करेगी? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, ...(**व्यवधान**)... Please. *...(Interruptions)...* What is this? *...(Interruptions)...* सुनिए। ...(**व्यवधान**)... No interference in the House. *...(Interruptions)...*

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, हम जानते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... यह अकसर देखा गया है कि Smart Cities का जो concept है, उसमें smartness देखते हैं। Smart Cities के जो contours हैं, जिनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसके बारे में अगर आप विस्तार से विवरण देंगे तो माननीय सदस्य की पूरी भ्रांति दूर हो जाएगी। Smart Cities have several facets, जो invisible हैं। वे ऐसे हैं। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)... सर, कभी-कभी तो चेयरमैन को बोलने दीजिए। बिकास जी, विकास की बात हो रही है, विकास की बात होने दीजिए। बिकास रंजन भट्टाचार्य जी, विकास के बीच में मत आइए।

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, संविधान के 12वें शेड्यूल में स्पष्ट लिखा है कि urban planning including town planning is responsibility of Urban Local Bodies/Urban Development Authorities. Government of India supplements the efforts of the State through schematic interventions/advisories. It provides financial and technical support to the States. पहला विषय यह है कि स्मार्ट सिटीज़ के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमने उन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करके एक प्रोग्राम बनाया कि देश भर की 100 सिटीज़ में टेक्नोलॉजी से आधारित ease of living system को बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स की एक सूची हमने सभी स्टेट्स को दी। यदि किसी स्टेट को अपने शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाना है, तो उसके लिए प्रेज़ेंटेशन करने के बाद चार फेज़ेज़ में 100 शहरों का चुनाव हुआ, लगभग 500 करोड़ रुपए हर शहर को देने की बात थी और हमारी ओर से लगभग 8,300 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए और अप्रूवल में 48 हज़ार करोड़ रुपये को लगाने के लिए स्टेट्स में अथॉरिटी बनाई गई, वह हर स्टेट में बनी, जिलों में बनी या उस कॉर्पोरेशन में या शहर में, जो स्मार्ट सिटी बननी थी, वहां अथॉरिटीज़ बनाई गईं। प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल और उनको रिव्यू करने का काम अथॉरिटीज़ का है। हमने तो उसको भेजने के बाद - वे जो यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं - पहले पैसा जारी करते हैं, फिर वे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद बचा हुआ पैसा और दे देते हैं। हमारा काम उनको assist करना है, उनको assist करने के बाद कहीं particular कोई शिकायत मिलती है, तो हमारे यहां डिपार्टमेंट की एक कमिटी बनी हुई है, वह उसकी रिपोर्ट प्रदेश की अथॉरिटी को भेजती है और हमें भी किसी कमिटी में जाकर कोई रिव्यू करना होता है, तो वह हम करते हैं, अन्यथा यह सारी ज़िम्मेदारी स्टेट्स की है। ये 100 स्मार्ट सिटीज़ इसलिए बनाए गए थे, ताकि ये मॉडल सिटीज़ बनें और उनके आधार पर उसका रेप्लिकेट करके अन्य शहरों में भी स्मार्ट सिटीज़ का काम किया जाए। अन्यथा शहर तो करीब 5,000 हैं और 5,000 शहरों में 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज़ बनाने की स्कीम है, यह सारे शहरों को बनाने की स्कीम नहीं है। यह केवल one time

scheme थी, जिस पर अभी तक लगभग 46,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और करीब 2,400 करोड़ रुपए इस बार जारी करके मार्च, 2025 तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number three, Shri Pramod Tiwari.

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, युवाओं को भी मौका दीजिए।

श्री सभापतिः प्रमोद तिवारी जी युवा ही हैं।

श्री प्रमोद तिवारीः सर, इनकी स्मार्ट योजना में 100 जिले चिन्हित हैं ...(व्यवधान)... 100 शहर...

MR. CHAIRMAN: One minute, please let him.....*(Interruptions)*... Hon. Minister, से जवाब चाहेंगे।

श्री प्रमोद तिवारीः मान्यवर, ये किन्हीं पांच शहरों के नाम बता दें, towns के नाम बता दें, जो इनके अनुसार विकसित हो चुके हैं या स्मार्ट सिटीज़ बन चुके हैं। उसके बाद सभी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की एक कमिटी बना दीजिए, वे वहां जाकर देख लें कि क्या एक टाउन भी विकसित हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री सभापतिः उलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारीः मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह * का अड्डा बन गया है, * की स्कीम बन गई है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है। सर, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ पांच नाम बता दें, क्योंकि यह पैसा * का एक ज़रिया बन गया है।

श्री सभापतिः आपको प्रमोद तिवारी जी चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं।

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, मैं चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं हूं। सौ शहरों के बारे में सबको पता है कि किस शहर में क्या-क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये अप्रूव हुए हैं और अप्रूवल के बाद उन 100 शहरों में जितने प्रोजेक्ट्स किसी एक शहर में बने हैं और उनका कंप्लीशन हो गया है - अभी लगभग 12 शहर ऐसे हैं, जो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, अन्य काम चल रहे हैं और यह

* Expunged as ordered by the Chair.

completion वर्ष 2025 तक होना है। इसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी, पर्टिकुलर शहर के बारे में बता दिया जाएगा। अन्यथा मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं जो आपके आसपास के शहर में है, जो उल्लेखनीय किये जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, मैं केवल बेस्ट प्रैक्टिसेज़ के नाते बता रहा हूं। उसमें सबसे पहले चंडीगढ़ का ICCC है। अब यह Integrated Command and Control Centres काफी शहरों में बने हैं। आप जाकर देख सकते हैं। मेरे यहां करनाल में, फरीदाबाद में भी बने हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः इसका मतलब यह है कि आपका पूरा देश है।

श्री मनोहर लालः यह मैं स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं। दूसरा प्रोजेक्ट है - अगर श्रीनगर कभी आपका जाना हो जाए, वहां ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप जाकर देखिए कि लाल चौक पर और झेलम रिवर का जो फ्रंट है, वह इस समय देखते ही बनता है। वह इस योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इसी प्रकार उज्जैन में Mahakkal Corridor Redevelopment किया गया है, वह देखते ही बनता है। आप जाकर वहां का कॉरिडोर देखकर आइए। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री जी भी पीछे बैठे हैं। इंदौर में सरस्वती और कहान लाइफलाइन प्रोजेक्ट जाकर देख सकते हैं। आप देखकर आइए और उसकी फोटो लाकर हमें दीजिए। इसी कोयम्बटूर में Revitalization of Seven Lakes यह, South में, आप कोयम्बटूर में जाकर देख सकते हैं। वडोदरा में Health and Emergency systems देख सकते हैं, one of the best projects. सूरत में Restoration and Reuse of Historic Castle, अगरतला (नॉर्थ-ईस्ट) में Flood Emergency Response System वहां जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार Davanagere में Resolution of Urban Flooding इस प्रकार से जो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे worth-mentioning किए हैं, यह तो केवल एक सूची है। अगर आप अपने शहर में जाकर देखेंगे, क्योंकि पूरा शहर स्मार्ट का अर्थ नहीं है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हुए हम Ease of Living के नाते उस शहर कैसे ठीक कर सकते हैं, these are some models और इन मॉड्ल्स के आधार पर प्रदेश सरकारों का काम ULBs का काम है कि वे अपने-अपने शहरों में उसको replicate बनाएं। कुल मिलाकर एक सहायता का कार्यक्रम है। यही इसमें स्मार्ट मिशन का सारे देश की 4,900 शहरों को स्मार्ट करने का अभी कोई प्रोग्राम भारत सरकार का नहीं है, बल्कि 100 शहरों में इस काम को पूरा करके कम्प्लीट किया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Thank you, Sir. सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है।

श्री सभापतिः आप नाम बदल दीजिए, मैं बदलवा दूंगा।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, I am very proud of the association of marriage and my husband. I am just saying.

श्री सभापतिः मैडम, एक सेकेंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलैक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहां सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद 1989 में उठाया था। वह बदवाल की प्रक्रिया हमने हर सदस्य को दी है।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: No; Sir. I am very proud. I am very proud of my name and my husband and his achievements. It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। ...(**व्यवधान**)... Sir, I am very happy.

MR. CHAIRMAN: Take your seat. *...(Interruptions)...* One minute. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: So, don't worry....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. *...(Interruptions)...* माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy. And, it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown and Shri Amitabh Bachchan's photograph was there. I certified and that was in 2004 or so. So, Jaya*ji*, the entire nation is proud. Now, your Supplementary No. 4 to Shri Manohar Lal.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः सर, इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए।

श्री सभापतिः मैं आपको बताता हूं। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, I am not against this. *...(Interruptions)...* I am not against this but this is incorrect. It is incorrect because before this subject came... *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः नीरज जी, आप बोल लीजिए या मैं बोल लेती हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखरः मैंने कुछ नहीं बोला है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नीरज जी। मैं बता रहा हूं कि इस चीज़ का निर्णय मैं करता हूं और मैंने आपको नाम से पुकारा था कि आप अपने सप्लीमेंटरी चार पूछ सकें।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Thank you, Sir. Anyway, I will not prolong this whole discussion.

श्री सभापतिः जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़ें, तो कई बार मैंने अपना इंट्रोडक्शन डा. सुदेश पति के नाम से दिया है। मैंने हमेशा आपकी भावना का आदर किया है, आप देख लीजिए। सुदेश मेरी वाइफ का नाम है।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः अच्छा, अच्छा। Sorry, Sir, I did not know.

श्री सभापतिः डा. सुदेश पति मैंने कई बार कहा है। यह रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी के और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं, क्योंकि आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की lineage बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त lineage है। दोनों तरफ देखें, nation is proud. Jaya*ji*, please. Supplementary number four.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः सर, हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं सोचती हूं कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो बारिश हुई, वहां कमर तक पानी था। मैं वहां पर किसी काम से जाना चाहती थी, मगर नहीं जा सकी। अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, तो क्या होगा? आप गुरुग्राम को छोड़ दीजिए, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस देश की कितनी capitals स्मार्ट सिटीज़ में गिनी जाएंगी, यह आप बता दीजिए।

श्री मनोहर लालः सर, पहले तो आपने उनको बताया कि नाम क्या है। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। अगर आप कहें, तो मैं उसका जबाव दे दूं।

श्री सभापति: नहीं, वह बहुत मुश्किल है। वह मुश्किल है।

श्री मनोहर लालः सर, मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, there is an Assurance Committee here. आपने assurance दिया है। अगले जन्म में भी आपने संसदीय परम्परा के दायरे में अपने आपको डाल दिया है। जया जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।

श्री मनोहर लालः सर, जहां तक गुरुग्राम का विषय है, मैं आदरणीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम उस 100 सिटीज़ में नहीं है। हरियाणा में दो ही सिटीज़ हैं - एक फरीदाबाद है और एक करनाल है।

श्री सभापतिः एक सेकंड, माननीय सदस्या का आशय था कि गुरुग्राम showcase करता है भारत की प्रगति को। वहां पर दुनिया की बड़ी कम्पनियां हैं और अपने अनुभव के आधार पर माननीय सदस्या ने बताया है कि वहां पर पानी का बहाव शायद व्यवस्थित नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह दो तरीके से किया गया है कि एक तो आप हरियाणा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और अब आपके हाथ में विकास है, विकास की डोरी आपके हाथ में है। आप उस समस्या का निदान कब तक कर देंगे? आशा के साथ आपसे पूछा गया है।

श्री मनोहर लालः आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं साढ़े 9 वर्ष हरियाणा का मुख्य मंत्री रहा हूं। जब मैं 2014 में हरियाणा का मुख्य मंत्री बना था, मुझे उस समय के दृश्य IFFCO Chowk के भी ध्यान में हैं, Signature Tower के भी ध्यान में हैं, Rajiv Chowk के भी ध्यान में हैं, Honda Chowk के भी ध्यान में हैं, ये tips पर हैं और उन chowks को parallel road है, समतल तो जा ही रही है, flyover भी जा रहे हैं, underpass भी दिया है, तीन मंजिला सड़कें बनी हैं। आज वहां पानी किसी प्रकार का रुकता नहीं है, ...(**व्यवधान**)... हां, जब वर्षा ज्यादा होती है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आपकी बात मान रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं।

श्री मनोहर लालः जब बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि सभी शहरों की जो रचना बनी है, ये एक समय में एक आधा इंच वर्षा, यानी दो सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो, एक समय में, तब तो उसका पानी खींचा जाता है। अभी हमने देखा, पिछले तीन दिन पहले देखा कि 8 सेंटीमीटर, साढ़े 8 सेंटीमीटर वर्षा हुई है दिल्ली में, गुरुग्राम में और सब जगह, तो इस प्रकार से जो ढाई से तीन इंच वर्षा होती है, उसके लिए अभी किसी शहर में इसके लिए प्लानिंग नहीं है। हां, इन स्थानों पर जैसा कि मौसम में बदलाव हो रहा है, आगे चलकर इसकी आवश्यकता पड़ती है, अगर हमें कोई सुझाव मिलेगा, तो हम उस पर विचार करेंगे। ...(**व्यवधान**)... कुल मिलाकर इस प्रकार की वर्षा हरियाणा, दिल्ली, आसपास के और शहर, देशभर में जहां-जहां वर्षा हो रही है – जो चीजें प्राकृतिक कारणों से होती हैं, उनके कारण थोड़े समय के लिए ट्रैफिक भी जाम होता है, सब होता है, इसके लिए क्या हो सकता है, इसके संबंध में माननीय सदस्य सुझाव देंगे, तो उन पर हम विचार भी करेंगे।

जहां तक गुरुग्राम का विषय है। गुरुग्राम आज हमारा icon city है, इसे आप हमारे उत्तर भारत का कह लें, भारत का कह लें, हरियाणा का कह लें, यह एक icon city बना है और इसके ऊपर हमें proud है। आज विदेश की Fortune 500 companies में से 300 कम्पनीज़ के offices गुरुग्राम में हैं। आज विदेश के लोगों की इन्वेस्टमेंट में जो सबसे

बेस्ट च्वाइस है, वह उत्तर भारत के गुरुग्राम जिले की है। उस शहर में कुछ न कुछ सुधार है, तभी यह सब कुछ हो रहा है, अन्यथा नहीं होता।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number five, Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, when we talk about this comprehensive urban policy, the first pre-requirement is data on population. So, I would like to ask the hon. Minister: Is there any plan to conduct census in the coming years? Or what about the estimated data on population in Indian cities by 2034?

श्री मनोहर लाल: सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अपने देश और दुनिया की आबादी खूब बढ़ती चली जा रही है। इस आबादी के आकलन, डिफरेंट एजेंसीज़ और डिफरेंट कमेटीज़ ने बताए हैं। उनके हिसाब से हमारे यहाँ का 2011 के सेंसस का एक डेटा उपलब्ध है। देश का डेटा, जो पॉप्युलेशन का है, उसके हिसाब से उस समय 121 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें शहरी जनसंख्या 37 करोड़ थी, जो लगभग 31 परसेंट बनती है। महोदय, उसके बाद जो अनुमान लगाए जा रहे हैं - क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्टेड अनुमान है, उसमें जो 2023 का डेटा था, वह 140 करोड़ पॉप्युलेशन का था। महोदय, उसमें लगभग 50 करोड़ अरबन पॉप्युलेशन आंकी गई है, जो कि 36 परसेंट बनती है, यानी 2011 से 2023 तक यदि शहरों की पॉप्युलेशन ग्रोथ 5 परसेंट बढ़ी है, तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र की ग्रोथ कम हुई है। महोदय, इसी तरह का 2036 का एक आंकड़ा, जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की लगभग 150 करोड़ की पॉप्युलेशन होगी, जिसमें से 60 करोड़, यानी लगभग 40 परसेंट urban population हो जाएगी, जो इस समय से भी 4 परसेंट और बढ़ेगी।

महोदय, इसी तरह से 2054 तक देश की पॉप्युलेशन 169 करोड़ तक होगी, जिसमें 90 करोड़ शहरी पॉप्युलेशन हो जाएगी और more than 50 per cent, यानी 52 परसेंट शहरी आबादी हो जाएगी। हमारे पास इस प्रकार का एक डेटा आया हुआ है।

महोदय, यह न केवल अपने देश का, बल्कि दुनिया का भी जो डेटा है, उसके बारे में अनुमान है। अगर 2024 को देखा जाए, तो 820 करोड़ की अनुमानित पॉप्युलेशन है और 2080 तक 1,030 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया भर में हो जाएगी - यह अनुमान है। महोदय, यह ठीक है कि बहुत देशों की जो आबादी है, वह घटने के trend की तरफ भी आ गई है। अभी हमारे देश की जो आबादी है, वह 2080 तक बढ़ने के ट्रेंड पर है। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद इस देश की आबादी भी घटने की ओर आएगी। जिस प्रकार का यह आबादी का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, हमारा विभाग और हमारी सरकार उस प्रोजेक्शन को लेकर सारी प्लानिंग बना रहे हैं। महोदय, हम सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इन 10 वर्षों में urban development के जितने काम हुए हैं, उन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा सोचा भी होगा। महोदय, इतनी स्कीम्स बनाई गई हैं और हर स्कीम की, प्रदेश की सहायता करना, ULB की सहायता करना, नई technique देना, नई-नई technology के माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना, ease of living के सिस्टम को आगे करना आदि सारे कार्य करने हैं। महोदय, जैसा मैंने बताया है कि ultimately केंद्र सरकार की ओर

से, हमारे विभाग की ओर से सहायता दी जाती है। उसमें प्रदेश सरकारों को और ULBs को strengthen करना होगा। उनकी strengthening के लिए अगर माननीय सदस्यों के कुछ सुझाव होंगे, तो हम वे सुझाव आगे स्टेट्स को forward कर देंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 139.